

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II SECTION 3 SUB-SECTION (ii) DATED : 16th Nov 1990

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes
(TPL Branch)

New Delhi, the 16th Nov, 1990

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. In exercise of the powers conferred by clause (23E) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the EXCHANGE RISK ADMINISTRATION FUND set up by Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India and Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited as the exchange risk administration fund set up by public financial corporations for the purpose of the said provision.

Anil Vivian Singh
(ANIL VIVIAN SINGH)
Under Secretary (TPL) to
Government of India

No. 8761

F.No.133/124/90-TPL

भारत के राजपत्र, प्रसाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड III
में दिनांक ----- को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
[टी० पी० एल०]

नई दिल्ली, दिनांक 16 ^{अप्रैल} ~~मार्च~~ 1990

अधिसूचना

आयकर

संख्या 8161 आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 10 के खण्ड 23 डी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार स्टूडन्ट्स फ़ंड ऑफ़ इण्डिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय गैर-वित्त निगम तथा इंडियन क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई "मुद्रा-विनिमय जोखिम प्रशासन निधि" [एक्सचेंज रिस्क एडजिस्ट्रेशन फंड] को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तार्वजिक वित्त निगमों द्वारा स्थापित की गई मुद्रा-विनिमय जोखिम प्रशासन निधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

अनिल विविपन सिंह

[अनिल विविपन सिंह]

अवर सचिव, भारत सरकार

संख्या 8161

फा० सं० 133/124/90-टी०पी०एल०
सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय